बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
अधिसूचना

पटना/दिनांक 27/01/26

संoसंo– 01/रा.स्था.(MACP)–67/2025 सह. 532 बिहार राज्य कर्मचारी सेवा–शर्त्त (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2025'' के प्रावधानों के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को स्तम्भ–04 में अंकित तिथि से लेवल–13 में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ सिविल लिस्ट क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अनुमान्यता की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री विकास कुमार बरियार, 09/25	अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (न्यायिक), बिहार, पटना।	14.12.2025
2.	श्री विकास रंजन प्रसाद, 10/25	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (योजना), बिहार, पटना।	28.11.2025
3.	श्री मो० निसार अहमद, 11/25	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	04.12.2025
4.	श्री भरत कुमार, 15/25	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।	27.12.2025
5.	श्री प्रभाकर कुमार, 16/25	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।	11.12.2025

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, 2025 के प्रावधानों एवं समय–समय पर इस सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्तो/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम०ए०सी०पी० लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान सम्बंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर सम्बंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से सम्बंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(स्मृति कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक ..../पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के अधीन निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथा अनुमान्य वेतन पुर्जा/वेतन आदेयता निर्गत किया जाय।

ह०/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक ......532....../पटना, दिनांक ..27/01/26......

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी अपर/संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी सम्बंधित पदाधिकारी/विभागीय आई०टी० मैनेजर को ई–मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1

1421

27.01.2026

27/1/26

सरकार के उप सचिव।